निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 46/2023
दायरा दिनांकः–17.07.2023
निर्णय दिनांकः– 30.6.25

उनवान

1 मुन्ना शाह उर्फ बुन्ना शाह आयु 69 वर्ष पुत्र चिराग शाह जाति फकीर मुसलमान निवासी जोगी मोहल्ला छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0) जर्ये मुख्तार ईश्हाक मोहम्मद पुत्र अब्दुल रजाक जाति मुसलमान निवासी वार्ड सं0 30 नया मोहल्ला छीपाबडौद तहसील छीपाबडौद जिला बारां राज0

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये जिला कलक्टर बारां राज0
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारा राज0
3. नगरपालिका छबडा जर्ये अध्यक्ष नगरपालिका छबडा
4. नगर पालिका छबडा जर्ये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका छबडा जिला बारां राजस्थान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः– 30.6.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल – प्रार्थी
2. श्री अजय श्री वास्तव – अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी कस्बा छबडा का निवासी है तथा काश्तकारी करता है प्रार्थी की काश्तकारी की जमीन माल छबडा तहसील छबडा जिला बारों राजस्थान में वाके है। खसरा नम्बर 144 रकबा 1.3152 हेक्टर खसरा मम्बर 122 रकबा 1.2040 हेक्टर उक्त आराजीवात को अब के बाद इस प्रार्थनापत्र में विवादित आराजीयात के नाम से संबोधित किया जायेगा। प्रार्थी का उक्त आराजीयात पर गत 50 वर्षो से होश संभाला तब्से कब्जा कात चला आ रहा है यह भी कहा जा सकता है कि प्रार्थी गत 50 वर्षो से बिना किसी व्यवधान के निर्भिक एवं निरन्तर कब्जा कास्त है प्रार्थी ही फसल बोता व काटता है सिवाय प्रार्थी के उक्त आराजीयात पर किसी अन्य का गत 50 वर्षो से एक क्षण के लिये भी कब्जा नहीं रहा है।प्रार्थी ने उक्त आराजी को सुचारू रूप से कारत करने के क्रम में सम्वत् 2037 में उक्त आराजी पर कोट करवाया तथा मकान बनाकर मय परिवार निवास कर रहा है यही नहीं प्रार्थी ने उक्त आराजीवात पर जानवरो की सुरक्षा वास्ते साल इत्यादि भी बना रखी है इस प्रकार प्रार्थी प्रार्थनापत्र की मद नम्बर–2 में वर्णित आराजीयात पर गत 50 वर्षो से निरन्तर रूप से काश्त कर रहा है अप्रार्थीगण ने भी प्रार्थनापत्र की मद नम्बर–2 में वर्गिर आराजीपात के कब्जे को स्वीकारा है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र की मद नम्बर–2 में वर्णित आराजीयात पर गत 50 वर्षो से कब्जा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

काश्त होने से तथा अप्रार्थीगण का उक्त आराजीयात पर कब्जा न होने से प्रार्थी को उक्त आराजीयात पर विपरित आधिपत्य के आधार पर खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो गये और प्रार्थी इसी आधार पर उक्त आराजी को अपने खातेदारी में दर्ज करा पाने का अधिकारी हो गया है। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 यही कहते है कि वे प्रार्थी को उक्त आराजीयात से बेदखल करेगें प्रार्थी को काश्त नहीं करने देगें प्रार्थी के पत्थरों के कोट हटा देंगे मकान भी तोड़ेगे तथा अप्राथी संख्या–1 के सहयोग से जैल में भी उलवा देगें यदि ऐसा हुआ तो प्रार्थी प्रार्थनापत्र की मद नम्बर–2 में वर्णित आराजीयात से महरूम हो जायेगा प्रार्थी ने आधार्थी संख्या 3 व 4 को मौके की स्थिति व कब्जे के संबंध में समस्त कागजात पेश करते हुये निवेदन किया कि वह प्रार्थी को बेदखल नहीं करे ना ही ऐसा कोई कृत्य करे जिससे प्रार्थी के हक हकूक की आराजीयात पर कुठाराघात हो लेकिन अप्रार्थी संख्या 3 व 4 नहीं मान रहे है तथा प्रार्थी को प्रार्थनापत्र की मद नम्बर–2 में वर्णित आराजीयात्त से बेदखल करने को आमादा है इन तमाम हालात में यदि अप्रार्थीगण को पाबंद नहीं किया गया तो निश्चित ही प्रार्थी को बदेखल करे देगें लिहाजा अप्रार्थीगण प्रार्थी को उक्त आराजीयात से बेदखल न करे प्रार्थी के उक्त आराजीयात के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में बाधा पैदा न करे इस बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा हासिल करना मामले के तथ्यो परिस्थितियो में नितान्त आवश्यक हो गया है प्रार्थी काश्तकार व्यक्ति है कृषि कार्य करके ही अपना व अपने परिवार का जीवनयापन करता है यदि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को विवादित आराजीयात से बेदखल कर दिया तो प्रार्थी व उसके परिवार के समक्ष भूखी मरने की नौबत आ गई। प्रार्थी के पारा विवादित आराजीयात के अलावा अन्य कृषि भूमि नहीं है ना ही आय का कोई स्त्रीत है ऐसी सूरत में प्रार्थी उक्त आराजीयात गद नम्बर–2 प्रार्थनापत्र अपने खाते दर्ज करा पाने का अधिकारी है। प्रार्थनापत्र प्रस्तुति का कारण प्रथम बार दिनांक 18–6–23 को उत्पन्न हुआ जब अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के नुमाईन्दै प्रार्थी की उक्त आराजीयात मद नम्बर–2 प्रार्थनापत्र पर आये और प्रार्थी को विवादित आराजीयात से बेदखल करने की धमकी देने लगे और यह भी कहने लगे कि विवादित आराजीयात अब अप्रार्थी नगरपालिका के खातेदार में दर्ज हो गई है। ऐसी सूरत में अब वे प्रार्थी को विवादित आराजीयात से बेदखल करेगें लिहाजा प्रार्थनापत्र प्रस्तुति का कारण प्रार्थी का विवादित आराजीयात पर गत 50 वर्षों से भी अधिक समय से कब्जा होने तथा प्रार्थी को विपरित आधिपत्य के आधार पर खातेदारी अधिकार उद्यूत हो जाने के पश्चात भी उक्त आराजीयात अपार्थी संख्या 3 के खातेदारी में दर्ज होने तथा आार्थी संख्या 3 व 4 के नुमाईन्दी द्वारा प्रार्थी को विवादित आराजीयात से बेदखल करने का प्रयास करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ लिहाजा यही तिथि बिनाय मुखास्मत प्रार्थनापत्र हाजा करार दी जाती है। प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या केस है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में विद्यमान है यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं हुई तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 3 व 4 की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कस्बा छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 571 पेश की गई। आम मुख्तियारनामा पेश किया गया।

अप्रार्थी ने जवाब पेश कर कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी अप्रार्थी क्रम 3 व 4 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी है जिस पर प्रार्थी अतिक्रमी होने

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी है। वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी क्रम 3 व 4 के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज होने से स्वामित्व प्राप्त होने से प्रार्थी उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इस कारण से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी क्रम 3 व 4 की कस्बा छबडा मे कृषि भूमियात एवं आवासीय भूमियात छबडा मे कई जगह रिक्त व खाली पडी हुई है जिनमे से कृषि भूमियात को मुनाफा काश्त पर खेती करने के लिए खुल निलामी बोली मे दिया जाकर पालिका कोष मे राजस्व प्राप्त किया जाता है जिससे कस्बे का विकास एवं साफ, सफाई रोशनी, पानी आदि जरूरतो को पूरा किया जाता है। प्रार्थी नगर पालिका भूमि पर गत कई वर्षो से फसल काश्त करता चला आ रहा होने से अतिक्रमी की श्रेणी मे आता है इस कारण से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी का कथन है प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि माल छबडा में खसरा नम्बर 144 रकबा 1.3152 है0 खसरा नम्बर 122 रकबा 1.2646 है0 स्थित है। प्रार्थी का उक्त आराजी पर गत 50 वर्षो से होश संभला तब से कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रार्थी बिना किसी व्यवधान के निरन्तर कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। विवादित आराजी पर प्रार्थी ही फसल बोता और काटता है प्रार्थी के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का कब्जा नही रहा। प्रार्थी ने सम्वत् 2037 से उक्त आराजह पर कोट करवा रखा है मकान भी प्रार्थी का उक्त आराजी में बना हुआ है जिसमें प्रार्थी परिवार सहित निवास करता है। विवादित आराजी पर 50 वर्षो से कब्जा काश्त होने से तथा अप्रार्थीगण का उक्त आराजीयात पर कब्जा न होने से प्रार्थी को उक्त आराजी पर विपरीत आधिपत्य के आधार पर खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो गये। प्रार्थी इसी आधार पर आराजी को खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी है अप्रार्थी क्रम 3 व 4 प्रार्थी को उक्त आराजी से बेदखल करने व मकान को तोडने की पत्थरों के कोट को हटाने की धमकी देते है प्रार्थी के पास विवादित आराजी के अलावा अन्य कृषि भूमि नही है ना ही आय का कोई स्त्रोत है। प्रार्थी उक्त आराजी को खाते दर्ज कराने का अधिकारी है अप्रार्थी क्रम 3 व 4 विवादित आराजी से बेदखल करने पर आमादा है अप्रार्थीगण को तफैसला वाद पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी अप्रार्थी क्रम 3 व 4 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी है जिस पर प्रार्थी अतिक्रमी होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी है विवादित आराजी अप्रार्थी क्रम 3 व 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से प्रार्थी उक्त आराजी पर किसी प्रकार से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है अप्रार्थी क्रम 3 व 4 की कस्बा छबडा में कृषि भूमि एवं आवासिय भूमि कई जगह रिक्त पडी हुई है कृषि भूमि को मुनाफा काश्त पर खेती करने के लिए खुली निलामी बोली में दिया जाता है प्रार्थी नगर पालिका की भूमि पर गत कई वर्षो से फसल काश्त करता चला आ रहा होने से अतिक्रमी की श्रेणी में आता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। नगर पालिका की भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होने से नगरपालिका अतिक्रमी को अपनी भूमि से बेदखल करने का अधिकार है प्रार्थी नगर पालिका की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी ग्राम कस्बा छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 571 खाता सरकार दर्ज है इससे यह साबित होता है कि विवादित सरकार के खातेदारी में दर्ज है विवादित आराजी की किस्म बंजड है जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त होना बताया है विवादित आराजी पर प्रार्थी का कब्जा काश्त होने के कारण अप्रार्थी पैरोकार सरकार प्रार्थी को बेदखल नही करे इस कारण प्रार्थी द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्थगन चाहा गया है विवादित आराजी पर प्रार्थी का लगभग 50 वर्षो से कब्जा होना बताया है। यह विचारणीय है कि राजस्थान टिनेंसी एक्ट 1955 में (एडवर्स पजेशन) विपरित आधिपत्य के आधार पर खातेदारी प्रदान करने के कोई विधिक प्रावधान नहीं है। इसलिए प्रार्थी विवादित आराजी पर साधिकार कब्जा नही रखता है तथा एक अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है जिसे कानूनी सरंक्षण प्रदान नही किया जा सकता। भूमि नगर पालिका के आबादी क्षैत्र में है, नगर पालिका प्रार्थी को बेदखल कराने का अधिकार रखती है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा